

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)  
संख्या- 53/2017/अधि0-881/सात-न्याय-1-17-35(अ)/17  
लखनऊ: दिनांक- 12 जुलाई, 2017

कार्यालय-जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय ने स्वयं का इलाज निजी चिकित्सालय में 03-04-2017 से 14-04-2017 तक कराये गये उपचार पर हुये व्यय रू0 72,464/- के सापेक्ष अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, बापू भवन, लखनऊ के पत्र संख्या- सचि0डिस्पे/चि0प्र0पू0/2017/3530, दिनांक 07-06-2017 इस प्रतिपूर्ति हेतु सत्यापित अनुमन्य धनराशि रू0 71,004/- (रूपये इकहत्तर हजार चार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402, दिनांक 08-11-2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49- चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान श्री अशोक कुमार के पी0पी0ओ0 संख्या- पी0 026/508/004584, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, लखनऊ (आईएफएससी- एसबीआईएन- 0006875) के खाता संख्या- 10223048117 के खाते में डाली जायेगी।

ह0/- रंगनाथ पाण्डेय,  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 53/2017/अधि0-881(1)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 31-7-2015 के क्रम में एक अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल बाउचर्स सहित।
- 4- अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी बापू भवन, लखनऊ को उनके उपर्युक्त पत्र दि007-06-17 के संदर्भ में।
- 5- श्री अशोक कुमार, 589-ख/848 अम्बेडकर पुरम, तेलीबाग, लखनऊ।
- 6- इण्टरनेट पर अपलोड करने/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- अरूण कुमार राय,  
अनु सचिव।